



झारखण्ड सरकार
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग
चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची-834010.

आवश्यक सूचना

**इंटरमीडिएट स्तर (कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु)
संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2017**

आरक्षण कोटि में संशोधन करने हेतु निर्देश

राज्य सरकार द्वारा जोगी (जुगी, गोसाई) की उप जाति गिरी-सन्धासी, अतित, अतिथ/ अतीथ जाति को दिनांक 25.04.2017 के प्रभाव से अनुसूची-II तथा सूढ़ी (सूड़ी/सुंडी) की समजाति सूंडी चासा/शुन्डीक वैश/ शौन्डीक को पिछड़ी जाति की अनुसूची-I के क्रमांक 122 पर दर्ज सूढ़ी (सूड़ी/सुंडी) के साथ कोष्टक में दिनांक 12.06.2017 के प्रभाव से सम्मिलित किया गया है।

2. उपर्युक्त जाति के अभ्यर्थियों को अपने आरक्षण कोटि में सुधार करने की सुविधा दिनांक 05.07.2017 से 09.07.2017 तक उपलब्ध कराने की सूचना देते हुए इन जाति के अभ्यर्थियों को संशोधित जाति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त करने का परामर्श आयोग द्वारा पूर्व में दिया गया है।

3. इसके लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाईट www.jssc.in पर जाएँ एवं Online Application for IS(CKHT)CCE-2017 को **Click** करें। उस पृष्ठ के बांयी ओर APPLY ONLINE के नीचे दिये गए दूसरे मेन्यु "CANDIDATE LOGIN/ PRINT APPLICATION" को क्लिक करें। इसके बाद CANDIDATE LOGIN खुलेगा, जिसमें सम्बन्धित अभ्यर्थी अपना Registration Number तथा Date of Birth डालते हुए आगे बढ़े और अपने आरक्षण कोटि, जाति प्रमाण पत्र संख्या, जाति प्रमाण पत्र संख्या निर्गम की तिथि तथा उसे निर्गत करने वाले प्राधिकार की संशोधित प्रविष्टि **Submit** करें। इसके साथ आवेदन पत्र प्रिंट का विकल्प आएगा जिसे **Click** करते हुए आवेदन का प्रिंट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें।

4. किसी अभ्यर्थी द्वारा इस सुविधा का लाभ सिर्फ एक बार लिया जा सकता है तथा इस संशोधित प्रविष्टि में किसी भी स्तर पर पुनः संशोधन नहीं होगा।

परीक्षा नियंत्रक।